

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 11(1)म.सं./98

जयपुर, दिनांक:

5 APR 2010


आज्ञा

मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 83/2010 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में इस सचिवालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.3.99 में संशोधन कर माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्रिगण को उनके उपयोग हेतु पूर्व में प्रदत्त आवास सुविधा के अतिरिक्त निम्नांकित सुविधायें प्रदान किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं :-

क.सं	सुविधायें
1.	मंत्रिगणों के समान प्रोटोकॉल सुविधा
2.	एक निजी सचिव
3.	एक वरिष्ठ लिपिक एवं एक कनिष्ठ लिपिक
4.	दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
5.	एक राजकीय वाहन मय वाहन चालक एवं 250 लीटर पेट्रोल प्रतिमाह
6.	विद्युत उपभोग 1000 यूनिट प्रतिमाह

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,


(राकश वर्मा)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति० मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
8. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
10. निजी सचिव, पूर्व मुख्यमंत्रिगण, राजस्थान।
11. अध्यक्ष, इंदिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
12. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज०, जयपुर।
13. प्रधान महालेखाकार, राज०, जयपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
17. रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव

.....2.....